

sions) giving reasons for immediate legislation by the Unit Trust of India (Amendment) Ordinance, 1975, as required under rule 71(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

12.07 hrs.

VOLUNTARY DISCLOSURE OF INCOME AND WEALTH BILL*

THE MINISTER OF STATE IN-CHARGE OF THE DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for voluntary disclosure of income and wealth and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for voluntary disclosure of income and wealth and for matters connected therewith or incidental thereto"

The motion was adopted.

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE: I introduce† the Bill.

12.7-1/2 hrs.

STATEMENT RE. VOLUNTARY DISCLOSURE OF INCOME AND WEALTH ORDINANCE, 1975 AND VOLUNTARY DISCLOSURE OF INCOME AND WEALTH (AMENDMENT) ORDINANCE, 1975

THE MINISTER OF STATE IN-CHARGE OF THE DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): I lay on the Table an explanatory statement (Hindi and English versions) giving reasons for immediate legislation by the Voluntary Disclosure of Income and Wealth Ordinance,

1975 and the Voluntary Disclosure of Income and Wealth (Amendment) Ordinance, 1975, as required under rule 71(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha

12.08 hrs.

SMUGGLERS AND FOREIGN EXCHANGE MANIPULATORS (FORFEITURE OF PROPERTY) BILL*

THE MINISTER OF STATE IN-CHARGE OF THE DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the forfeiture of illegally acquired properties of smugglers and foreign exchange manipulators and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the forfeiture of illegally acquired properties of smugglers and foreign exchange manipulators and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE: I introduce the Bill.

12.09 hrs.

STATEMENT RE. SMUGGLERS AND FOREIGN EXCHANGE MANIPULATORS (FORFEITURE OF PROPERTY) ORDINANCE, 1975

THE MINISTER OF STATE IN-CHARGE OF THE DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): I lay on the Table an explanatory statement (Hindi and English versions) giving reasons for immediate legislation by the Smugglers

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 12-1-76.

†Introduced with the recommendation of the President.

[Shri Pranab Kumar Mukherjee] and Foreign Exchange Manipulators Forfeiture of Property) Ordinance, 1975 as required under rule 71(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

12.10 hrs ..

**SALES PROMOTION EMPLOYEES
(CONDITIONS OF SERVICE) BILL—
'Contd.**

MR. SPEAKER The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri K. V. Raghunatha Reddy on the 9th January, 1976, namely,—

“That the Bill to regulate certain conditions of service of sales promotion employees in certain establishments, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration”

श्री राम सिंह भाई (इंदौर) : श्रीमान्, मैं इस विधेयक का हृदय से स्वागत करना चाहूँगा क्योंकि इस धड़े में काम करने वाले श्रमिकों के लिये अभी ऐसे कोई नियम नहीं थे और हम उद्योग के मालिकों को खुली छूट दे रखी थी। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि काफी प्रयत्न करने के बाद भी बहुत देरी में यह बिल लाया गया है। मैं इस बिल की कुछ खामियों की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

पहली बात तो यह है कि जब इनने मालों के बाद यह बिल लाया गया तो फिर राज्यों को बाद में अमल की भिन्न-भिन्न तारीखें निश्चित करने का अधिकार क्यों दिया गया? जब आप बिल लाये हैं तो आपको इस में ही भाया कर देना चाहिये था कि फला तारीख से इस बिल पर अमल होगा। मैं अनुभव के तौर पर कह रहा हूँ कि राज्य सरकारों द्वारा अमल की तारीखें निश्चित करने में मालों गुजर जाते हैं और उन की तरफ से यही जवाब बिजता है कि हमें स्टॉफ की व्यवस्था करनी है और उस वर्मियन में उद्योग के मालिकों को जितनी भी

काट छाट करनी होती है वह कर लेते हैं। पिछले अधिवेशन में ही इस बिल पर चर्चा होने वाली थी और कार्यक्रम की सूची पर भी आ गया था, हालांकि राज्य सभा इसे पास कर चुकी थी, मंत्री जी ने भी चर्चा हुई थी कि आप ने जो वेतन की मर्यादा 750 रु० रखी है यह बहुत कम है, उस का कारण यह है कि जो विक्रय करने वाले कर्मचारी हैं वह श्रमिक नहीं हैं बल्कि पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं और इस काम के भी माहिर होते हैं उन्हीं को इस में रखा जाता है। 750 रु० उन की वेतन की मर्यादा रखना उन के साथ मज़ाक है। जो छोटे मोटे उद्योग वाले हैं जिन में कम वेतन वाले लोग होते हैं उन पर यह बिल लागू हो जायगा, लेकिन जो बड़े बड़े कारखानेदार हैं इन व्यवसाय के और उन के जो वेतन वीरह है वह 750 रु० से ज्यादा होते हैं, उन को इस में कोई फायदा नहीं होगा, कोई प्रेचटरी बोनस नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आप ने बोनस की मर्यादा 1600 तक रखी है बक आदि में भी यही रखी है। तो जा 750 रु० की मर्यादा रखी है यह एक तरह से मजाक की बात है क्योंकि अधिकांश लोग 750 रु० से ज्यादा वेतन पाते हैं।

दूसरी बात यह है कि इंफ़्लेशन आदि के अन्दर जो बिना पढ़े लिखे श्रमिक हैं जो श्राव लगाने हैं उन के लिये भी आपने 1000 रु० की मर्यादा रखी है। पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट के अन्दर भी 1,000 रु० की मर्यादा रखने जा रहे हैं जो बिल को मदन के सामने है। इसलिये इन बातों को देखते हुए इस बिल पर ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिस की नुकनाचीनी की जाय। प्रमुख बात यह है कि हम को एक ही तारीख से सारे देश में लागू करना चाहिये। वेतन की जो मर्यादा 750 रु० रखी है इस को बढ़ा कर 1,000 रु० के ऊपर रखी जानी चाहिये। मंत्री जी कहेंगे कि इस के बारे में हम विचार करेंगे। हमने देखा है कि ऐसे